न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्याः— 03/2014

गोग सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति मजबी निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1.अजयदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

2.जगदेव सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी चक हीरासिंह वाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.3.2014 न्यायालय तहसीलदार राजस्व, संगरिया बअनवान गोग सिंह बनाम अजयदीप सिंह आदि, मुकदमा नं0 01/2013 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार फरमाया, बमुराद मन्सुखी आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः—1.श्री राजीव कुलश्रेष्ठ वकील अपीलार्थी
2.श्री राजेश कुमार वकील प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 14.03.2017

अपील के संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि मामले क सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि चक 4 एन.के.आर.बी. में खाता संख्या 28/2012 मंजीत कौर आदि में 1.699 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा अपीलार्थी का संयुक्त खाता में दर्ज है। अपीलार्थी एवं सहखातेदारान का आपस में धरू तौर पर विभाजन किया हुआ है जिसके अनुसार अपीलार्थी के कब्जा काश्त में पत्थर नं0 138/146 (47) किला नं0 2, 3 पत्थर नं0

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

138/145 (32) किला नं0 22 व 23 की कृषि भूमि है। इस विभाजन के संबंध मे अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारान का कोई विवाद नही है। अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी कथन किये गये कि उसके खेत पडोसी प्रत्यर्थीगण ने पत्थर नं0 138/145 के किला नं0 22 की कृषि भूमि में डिग्गी निर्माण कर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त अवैध अतिक्रमण हटवाया जाकर अपीलार्थीगण को उनकी कृषि भूमि का कब्जा वापिस दिलवाया जावे। अपीलार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया व उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के उपरान्त हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2014 को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित यह आदेश पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है जिससे अपीलार्थी व्यथित होकर यह अपील की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट तथा अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी को इस आदेश की जानकारी दिनांक 30.05.2014 को हुई। अपीलार्थी वृद्धावस्था के कारण अक्सर बीमार रहता है जिसके कारण अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलार्थी को हर तारीख पेशी पर नही आने की हिदायत दी गई थी। अपीलार्थी दिनांक 30.05.2014 को अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अपीलार्थी को बताया गया कि दिनांक 28.03.2014 को उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। इस आदेश की जानकारी दिनांक 30.05.2014 को होने पर अपीलार्थी द्वारा तुरन्त नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अपील विलम्ब की माफी के लिए पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अपील के साथ संलग्न किया। कि अपीलार्थी की भूमि संयुक्त खाता में होने में होने के कारण सक्षम न्यायालय से संयुक्त खाता का खाता विभाजन करवाने के पश्चात ही धारा 183बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के मुरब्बा के किले में अतिक्रमण किया गया था। जिसके कारण अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर खाता विभाजन नही करवाने का कोई प्रभाव नही पडता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मु0नं0 32 के किला नं0 22 में 150 वर्गफुट रकबा में प्रत्यर्थीगण द्वारा पक्की डिग्गी निर्मित होने की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट थी। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर यह देखना था कि अपीलार्थी की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है या नही। अपीलार्थी के संयुक्त खाता में दर्ज समस्त काश्तकर अनुसूचित जाति के ही है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता विभाजन न होने का आधार लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। संयुक्त खाता में अन्य सहखातेदारो से कोई विवाद नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया की पालना नही की गई और ना ही अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य को बन्द न करते हुए सीधे ही पत्रावली बहस हेतु निर्धारित कर दी गई जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थी को

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

नही हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता तो अपीलार्थी सहखातेदारो के विभाजन के संबंध में सहमति के ब्यान करवाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को नाजायज लाभ प्रदान करने के उद्धेश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने के आदेश फरमाये जावे। वकील अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी—14.09.2014 पेज 546, आरआरडी—14.11.2015 पेज 660, The Rajasthan Manual Conds. 7—8 पेज 200, आरआरडी 1987 पेज 279 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है जिसका सीमा संबंधी विवाद था। जब तक संयुक्त खाते में प्रश्नगत भूमि का खाता विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान नहीं हो सकता। खाता विभाजन होने के पश्चात ही प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का सःसम्मान अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार संगरिया के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2014 के विरूद्व पेश की गई। वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा धारा 183बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा अन्य सहखातेदारान के मध्य कृषि भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं होना बताया। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के मुरब्बा के किले में अतिक्रमण किया गया था अपीलार्थी के संयुक्त खाता में दर्ज समस्त काश्तकार अनुसूचित जाति के ही है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता विभाजन न होने का आधार लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। संयुक्त खाता में अन्य सहखातेदारो से कोई विवाद नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रकिया की पालना नही की गई और ना ही अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी की अपील के अनुसार अपीलार्थी के संयुक्त खाता में दर्ज समस्त काश्तकार अनुसूचित जाति के लोग है। प्रत्यर्थीगण द्वारा जिस प्रश्नगत भूमि पर डिग्गी निर्माण किया गया है उसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं करवाया जाना पाया गया है और ना ही अपीलार्थी के मुरब्बा के किले में किये गये अतिक्रमण के संबंध में कोई जांच करवाया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। तहसीलदार संगरिया को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा प्रश्नगत भूमि पर निर्माण डिग्गी के संबंध में जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

तहसीलदार संगरिया को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official